राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 00838/2023

शोभा सिंह गुर्जर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कल्याणपुरा, सांगानेर, जयपुर।
5. सुनीता कुमारी वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झोडिन्डा भोजपुरा, फागी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.02.2023
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा, सांगानेर जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झोडिन्डा भोजपुरा, फागी, जयपुर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 26.12.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का दो महीने की अल्प अवधि में ही

स्थानान्तरण किया गया है ना ही कोई यात्रा एवं वेतन भत्ता दिया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को पदस्थापित किया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित (accommodate) करने के उद्देश्य से किया गया है। उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 26.12.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा, सांगानेर जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक (हिंदी) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा, सांगानेर जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

7 जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552)** में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

8 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य